SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Ophthalmic Assistant (Medical & Health Department, Rajasthan)

नेत्र सहायक राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों की नेत्र इकाई में काम करता है — दृष्टि की जाँच, चश्मे का नंबर निकालना, नेत्र दाब की जाँच, मोतियाबिंद एवं अन्य रोगों की प्रारंभिक पहचान, ऑपरेशन से पहले और बाद की तैयारी, तथा...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-ophthalmic-assistant

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

नेत्र सहायक राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों की नेत्र इकाई में काम करता है — दृष्टि की जाँच, चश्मे का नंबर निकालना, नेत्र दाब की जाँच, मोतियाबिंद एवं अन्य रोगों की प्रारंभिक पहचान, ऑपरेशन से पहले और बाद की तैयारी, तथा नेत्र शिविरों का संचालन। राजस्थान में मोतियाबिंद अब भी अंधता का सबसे बड़ा कारण है और उसका इलाज पूरी तरह संभव है — रोगी को शिविर तक और फिर ऑपरेशन तक पहुँचाने की कड़ी प्रायः यही पद है। योग्यता स्नातक नहीं: कक्षा 12 भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान या गणित के साथ, फिर दो वर्ष का नेत्र तकनीकी (ऑप्थैल्मिक टेक्नोलॉजी) डिप्लोमा, तथा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण। यह उन थोड़े-से रास्तों में है जो कक्षा 12 विज्ञान के विद्यार्थी को दो वर्ष में एक कुशल स्वास्थ्य-सेवा पद तक पहुँचा देते हैं।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान या गणित के साथ + राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय नेत्र तकनीकी डिप्लोमा + राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण
भर्ती संस्था	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.) / नियुक्ति प्राधिकारी — चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
आयु-सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष। ऊपरी आयु-सीमा यहाँ नहीं दी गई — इन नियमों के निकाले गए पाठ में वह आँकड़ा पढ़ा नहीं जा सका; विज्ञप्ति देखें — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% सीधी भर्ती; नेत्र इकाइयाँ एवं मोतियाबिंद शिविर पूरे प्रदेश में

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- आँख, दृष्टि एवं चिकित्सा तकनीक में रुचि
- रोगियों से सीधे संवाद एवं सहायता

- शिविर एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी

क्षमताएँ

- बारीक अवलोकन — आँख की छोटी-सी बदलाहट पहचानना
- बुज़ुर्ग एवं घबराए रोगियों के साथ धैर्य
- माप एवं संख्याओं में शुद्धता, क्योंकि चश्मे का नंबर उसी पर टिका है

ज़रूरी कौशल

- दृष्टि परीक्षण एवं अपवर्तन (रिफ़्रैक्शन) — चश्मे का नंबर निकालना
- मोतियाबिंद की पहचान एवं शल्य-क्रिया के लिए रोगी की तैयारी
- नेत्र शिविरों का संचालन एवं रोगियों की छँटाई (स्क्रीनिंग)
- अभिलेख, अनुवर्तन (फ़ॉलो-अप) एवं रोगी को दवा-देखभाल समझाना
- नेत्र दाब की जाँच एवं ग्लूकोमा की प्रारंभिक पहचान
- स्लिट लैंप एवं अन्य नेत्र उपकरणों का संचालन
- विद्यालयों में दृष्टि जाँच कार्यक्रम एवं अंधता नियंत्रण योजनाएँ

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 10 उत्तीर्ण करें, फिर कक्षा 11 में विज्ञान संकाय लें। इस पद के लिए भौतिकी और रसायन दोनों आवश्यक हैं, तथा उनके साथ जीव विज्ञान या गणित — यह चुनाव कक्षा 11 में ही हो जाता है, इसलिए इसे समय रहते जान लें।
2. कक्षा 12 उत्तीर्ण करें।
3. दो वर्ष का नेत्र तकनीकी (ऑप्थैल्मिक टेक्नोलॉजी) डिप्लोमा करें, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से। प्रवेश से पहले मान्यता जाँचना अनिवार्य है — अमान्य संस्थान का डिप्लोमा पंजीकरण पर बेकार हो जाता है।
4. राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराएँ। नियम इसे योग्यता की तीसरी अनिवार्य शर्त बनाते हैं।
5. भर्ती की विज्ञप्ति आने पर ऑनलाइन आवेदन करें और चयन प्रक्रिया पूरी करें।
6. नियुक्ति के बाद पदोन्नति की सीढ़ी ध्यान में रखें — नेत्र सहायक से नेत्र सहायक ग्रेड-I, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आगे नेत्र अधिकारी। हर चरण पर पाँच वर्ष का अनुभव चाहिए, इसलिए यह लंबी पर स्पष्ट सीढ़ी है।

प्रमुख परीक्षाएँ

- चयन — बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा। अंक-योजना एवं पाठ्यक्रम उसी चक्र की विज्ञप्ति में प्रकाशित होते हैं।
- तीनों शर्तें एक साथ आवश्यक — नियम कहते हैं: (1) निर्धारित विषयों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक, और (2) दो वर्षीय नेत्र तकनीकी डिप्लोमा, और (3) राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण। इनमें से कोई एक छूटने पर आवेदन अधूरा रह जाता है।

- महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण — इन नियमों में सीधी भर्ती हेतु महिला अभ्यर्थियों के लिए नर्स ग्रेड-II एवं पब्लिक हेल्थ नर्स के पदों पर 50% तथा शेष पदों पर 30% (श्रेणीवार) आरक्षण दिया गया है, जिसमें से एक-तिहाई विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में रखा जाता है।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।
- ध्यान दें — यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government Senior Secondary Schools — Class 12 with physics, chemistry and biology or mathematics — हर ब्लॉक में
- Government medical colleges — diploma in ophthalmic technology — जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एवं अन्य (https://ruhsraj.org/)
- Rajasthan Para Medical Council — recognition and registration — जयपुर (https://rajswasthya.rajasthan.gov.in)

ऑनलाइन

- राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल — मान्यता प्राप्त संस्थान एवं पंजीकरण — प्रवेश से पहले संस्थान की मान्यता यहीं जाँचें (https://rajswasthya.rajasthan.gov.in)
- राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम — भारत सरकार — इस पद का काम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत होता है (https://npcbvi.mohfw.gov.in/)
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — इस पद का विभाग (https://rajswasthya.rajasthan.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 विज्ञान तक की पढ़ाई लगभग निःशुल्क है। नेत्र तकनीकी डिप्लोमा का शुल्क राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से बहुत कम रहता है और निजी संस्थानों से कई गुना अधिक — इसलिए पहले राजकीय संस्थान का प्रयास करें और मान्यता अवश्य जाँचें। पंजीकरण शुल्क कुछ हज़ार रुपये का होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क-पुनर्भरण एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू होती हैं। एक व्यावहारिक बात — यही योग्यता निजी नेत्र चिकित्सालयों, ऑप्टिकल दुकानों एवं दृष्टि-जाँच केंद्रों में भी काम देती है, इसलिए पढ़ाई का लाभ सरकारी चयन पर नहीं टिकता।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

राजकीय चिकित्सालयों की नेत्र इकाई, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध नेत्र विभाग, तथा गाँव-गाँव लगने वाले मोतियाबिंद एवं दृष्टि-जाँच शिविर। विद्यालयों में होने वाले दृष्टि-जाँच कार्यक्रम भी इसी पद के काम का हिस्सा हैं।

कार्य-संस्कृति

काम मुख्यत: चिकित्सालय के समय पर चलता है, इसलिए दिनचर्या नियमित रहती है — यह इस पद की व्यावहारिक सुविधा है, विशेषकर महिलाओं के लिए। पर नेत्र शिविरों के मौसम में क्षेत्रीय दौरे बढ़ जाते हैं और शिविर के दिन बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सैकड़ों रोगियों की जाँच होती है। काम में बारीकी और धैर्य दोनों चाहिए: रोगी अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं, जाँच में समय लगता है, और चश्मे का नंबर गलत निकलने पर रोगी को कोई लाभ नहीं मिलता। संतोष असामान्य रूप से स्पष्ट है — मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर लौटा रोगी अगले दिन देख पाता है, और उस कड़ी में आपकी भूमिका सीधी होती है।

कौन नौकरी देता है

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
- राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम
- ई.एस.आई., रेलवे एवं अन्य सरकारी चिकित्सालय
- राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों की नेत्र इकाइयाँ
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबद्ध नेत्र विभाग
- निजी नेत्र चिकित्सालय एवं दृष्टि-जाँच केंद्र (सरकारी चयन से स्वतंत्र)

माँग (2026)

मोतियाबिंद राजस्थान में अब भी अंधता का सबसे बड़ा कारण है और उसका इलाज पूरी तरह संभव है, इसलिए राज्य में नेत्र जाँच एवं शिविरों का ढाँचा स्थायी रूप से चलता है और नेत्र सहायक की आवश्यकता बनी रहती है। नियमों के अनुसार यह पद 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है, यानी पूरा संवर्ग बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुला है, और यह पंक्ति नियमों में 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना के तुरंत बाद आती है, इसलिए यह हाल में संशोधित एवं वर्तमान है। योजना बनाते समय दो बातें ध्यान रखें। पहली — पैरामेडिकल संवर्ग की भर्तियाँ हर वर्ष नहीं निकलतीं और यह संवर्ग बड़ा नहीं है, इसलिए इसे अकेली योजना न बनाएँ। दूसरी — योग्यता स्वयं रोज़गार देती है: निजी नेत्र चिकित्सालय, ऑप्टिकल दुकानें एवं दृष्टि-जाँच केंद्र सब इसी डिप्लोमा पर काम देते हैं, इसलिए सरकारी भर्ती की प्रतीक्षा कमाते हुए की जा सकती है। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. नेत्र सहायक — चिकित्सालय अथवा स्वास्थ्य केंद्र की नेत्र इकाई में नियुक्ति
2. नेत्र सहायक ग्रेड-I — 100% पदोन्नति से, इस पद पर 5 वर्ष के अनुभव पर
3. ऑप्टोमेट्रिस्ट — 100% पदोन्नति से, नेत्र सहायक ग्रेड-I पर 5 वर्ष के अनुभव पर
4. नेत्र अधिकारी — 100% पदोन्नति से, ऑप्टोमेट्रिस्ट पर 5 वर्ष के अनुभव पर

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹35,000 – ₹45,000 (भत्तों सहित, ग्रेड-I एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट स्तर पर)
वरिष्ठ स्तर	₹50,000 से अधिक (भत्तों सहित, नेत्र अधिकारी स्तर पर)

इस पद की पदोन्नति की सीढ़ी असामान्य रूप से स्पष्ट है — नेत्र सहायक से ग्रेड-I, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिर नेत्र अधिकारी, और हर चरण नियमों के अनुसार 100% पदोन्नति से भरा जाता है। इसका अर्थ है कि इन पदों पर बाहर से कोई नहीं आता और सीढ़ी पर चढ़ने वाले केवल इसी संवर्ग के लोग होते हैं। शर्त यह है कि हर चरण पर पाँच वर्ष का अनुभव चाहिए, इसलिए यह धीमी पर निश्चित प्रगति है। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- स्नातक की डिग्री आवश्यक नहीं — कक्षा 12 के बाद दो वर्ष का डिप्लोमा पर्याप्त
- नेत्र अधिकारी तक की पूरी सीढ़ी 100% पदोन्नति से भरी जाती है — बाहर से कोई नहीं आता
- चिकित्सालय का नियमित समय, और योग्यता निजी क्षेत्र में भी आय देती है

चुनौतियाँ

- संवर्ग बड़ा नहीं है और भर्ती हर वर्ष नहीं निकलती
- हर पदोन्नति के लिए पाँच वर्ष का अनुभव — प्रगति धीमी है
- शिविर के दिन बहुत लंबे होते हैं, और अमान्य संस्थान का डिप्लोमा पंजीकरण पर बेकार हो जाता है

9 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 (कार्मिक विभाग) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/20231019113052354430 3Medical1965_merged.pdf

2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान — पैरामेडिकल काउंसिल की अपनी साइट वर्तमान में उपलब्ध नहीं — https://rajswasthya.rajasthan.gov.in

3. राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम — https://npcbvi.mohfw.gov.in/

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

5. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in